

**आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची।**

**माह मई-2018**

क्र0 सं0	काण्ड संख्या एवं तिथि 1	संबंधित विभाग 2	अभियुक्तों के नाम एवं पद 3
1	भ्र0नि0 ब्यूरो, पलामू थाना कांड सं0-05/18 दिनांक-07.03.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	राजस्व विभाग टैअप केस। 3,000/-	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, पिता-श्री श्याम बिहारी सिंह, सा0\$पो0-सिलिदाग, थाना-रमना, जिला-गढ़वा सम्प्रति पंचायत सेवक, पंचायत कोरवाडीह, प्रखंड गढ़वा, जिला-गढ़वा। <b>आरोप पत्र सं0-07/18 दिनांक-05.05.18</b>
2	भ्र0नि0 ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं0-03/18 दिनांक-08.03.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	ग्रामीण विकास विभाग टैअप केस। 12,000/-	श्री पियुष राणा उर्फ पियुष करण, पिता-कौशलेन्द्र कुमार, सा0\$पो0\$थाना-राजपुर, जिला-चतरा, वर्तमान कनीय अभियंता, तोपचाँची प्रखण्ड, जिला-धनबाद। <b>आरोप पत्र सं0-02/18 दिनांक-02.05.18</b>
3	भ्र0नि0 ब्यूरो, जमशेदपुर थाना कांड सं0-05/18 दिनांक-28.03.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	पुलिस विभाग टैअप केस। 9,000/-	मो0 औरंगजेब, पिता-स्व0 मो0 कासिम, सा0\$पो0-वेनीगीर, थाना-मुफस्सिल, जिला-मुंगेर वर्तमान एल4/3 ई0 रोड़ टेलको, पू0 सिंहभूम, वर्तमान स0अ0नि0 टेलको थाना, पूर्वी सिंहभूम। <b>आरोप पत्र सं0-06/18 दिनांक - 24.05.18</b>
4	भ्र0नि0 ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं0-05/18 दिनांक-02.04.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	पंचायती राज्य विभाग टैअप केस। 21,000/-	1.श्रीमति सुनिता देवी, मुखिया, जरमुने पूर्वी पंचायत, प्रखंड-बगोदर, जिला-गिरिडीह। 2. अप्राथमिकी अभियुक्त मिश्री लाल पासवान मुखिया पति, पिता-स्व0 लक्ष्मण पासवान, सा0-नवाडीह, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह। <b>दोनो अभियुक्तों पर आरोप पत्र सं0-04/18 दिनांक-28.05.18</b>

5	अ०नि० ब्यूरो, पलामू थाना कांड सं०-06/18 दिनांक-25.03.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) अ०नि० अधि०-1988	पंचायती राज्य विभाग टैअप केस। 15,000/-	श्री रामाशंकर पासवान, पिता-स्व० राजदेव पासवान, सा०-खरसोता, पोस्ट-मोरबे, थाना-मझिआँव, जिला-गढ़वा वर्तमान मुखिया खरसोता पंचायत, प्रखंड मझिआँव, जिला-गढ़वा <b>आरोप सं०-08/18, दिनांक-24.05.18</b>
6	अ०नि० ब्यूरो, जमशेदपुर थाना कांड सं०-04/18 दिनांक-20.03.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) अ०नि० अधि०-1988	पुलिस विभाग टैअप केस। 10,000/-	श्री रामजतन पाण्डेय, पिता-स्व० आनन्दी पाण्डेय, सा०-सीमराही, पो०-लोरम, थाना-ईटखोरी, जिला-चतरा, सम्प्रति पु०अ०नि० हाट गम्हरीया, थाना-पश्चिमी सिंहभूम। <b>आरोप पत्र सं०-05/18 दिनांक-16.05.18</b>
7	अ०नि० ब्यूरो, जमशेदपुर थाना कांड सं०-06/18 दिनांक-06.04.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) अ०नि० अधि०-1988	सहकारिता टैअप केस। 10,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री चेतन कुमार वर्मा, पिता-स्व० सीताराम वर्मा, पता-न्यू एरिया ओकनी पीपल पेड के नजदीक (पंचमुखी हनुमान मंदिर), थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, सम्प्रति सिटी मैनेजर, नगर पंचायत, चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम। <b>आरोप पत्र सं०-07/18 दिनांक-28.05.18</b>
8	अ०नि० ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं०-04/18 दिनांक-17.03.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) अ०नि० अधि०-1988	शिक्षा विभाग टैअप केस। 40,000/-	महेन्द्र सिंह, पिता-स्व० रामकेशवर सिंह, सा०-नासरीगंज, थाना-नासरीगंज, जिला-रोहतास (बिहार) वर्तमान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बेरमो-01, जिला-बोकारो। <b>आरोप पत्र सं०-03/18 दिनांक-14.05.18</b>
9	अ०नि० ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं०-06/18 दिनांक-05.04.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) अ०नि० अधि०-1988	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग टैअप केस। 12,500/-	प्राथमिकी अभियुक्त शिवेन्दु मोहन कुमार, पे०-विरेन्द्र कुमार शशि ग्राम-करिहो थाना-महुवाँ जिला-वैशाली (बिहार) वर्तमान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम। <b>आरोप पत्र सं०-05/18 दिनांक-29.05.18</b>
10	अ०नि० ब्यूरो, दुमका थाना कांड	राजस्व विभाग	श्री महेश गुप्ता उर्फ महेश प्रसाद साह, पे०-स्व० रामनरेश

	सं0-03/18 दिनांक-02.04.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	टैप्प केस। 4,000/-	साह, पैतृक पता-नोनिहथवारी, थाना-जामा, जिला-दुमका स्थायी पता-ननकु कुरूवाँ, साई मंदिर के पास, थाना\$जिला-दुमका वर्तमान लिपिक अंचल कार्यालय, शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका। <b>आरोप पत्र सं0-06/18 दिनांक - 29.05.18</b>
11	भ्र0नि0 ब्यूरो, पलामू थाना कांड सं0-07/18 दिनांक-05.04.18, धारा-07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	सिंचाई विभाग टैप्प केस। 3,000/-	श्री टुनटुन कुमार उपाध्याय, पिता-स्व0 व्यास उपाध्याय, ग्राम- सिसई, पो0-बरौली, थाना-बरौली, जिला-गोपालगंज, वर्तमान सहायक विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मेदिनीनगर, जिला-पलामू। <b>आरोप पत्र सं0-09/18 दिनांक - 02.06.18</b>
12	निगरानी थाना कांड सं0-23/16, दिनांक-30.03.16, धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1)(ई) भ्र0नि0 अधि0-1988	प्राथमिकी अभियुक्त के द्वारा पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर ज्ञात आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में निगरानी ब्यूरो परीवाद सं0- आर-271/15 दिनांक- 15.07.15 के जाँचोपरान्त	श्री सुरेश शर्मा, पिता-स्व0 भृगुनाथ शर्मा, सा0-शेखपुरा, थाना- नौबतपुर, जिला-पटना (बिहार), तत्कालीन सहायक जिला खनन पदाधिकारी दुमका। <b>अंतिम प्रतिवेदन सं0-05/18 दिनांक-31.05.18 तथ्य की भूल समर्पित।</b>